सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 42/13

1. जरनैलसिंह
2. दर्शनसिंह पिसरान दयालसिंह जाति मजहबी सिख निवासी 14 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. महेन्द्रकौर पुत्री दयालसिंह पत्नी करनैलसिंह निवासी मसानी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. बलविन्द्रकोर पुत्री दयालसिंह पत्नी अर्जनसिंह निवासी मोनेवाला हैढ तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
5. करतारकौर पुत्री दयालसिंह पत्नी कर्मसिंह जाति मजहबी सिख निवासी सफीपुरा तहसील जगरावां जिला लुधियाना (पंजाब)

अपीलार्थी

बनाम

1. करतारसिंह पुत्र दयालसिंह जाति मजहबी सिख निवासी 14 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. गोपालसिंह पुत्र दयालसिंह जाति मजहबी सिख निवासी 14 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार श्रीगंगानगर इंतकाल सं0 345 दिनांक 23.11.12

उपस्थित :

1. श्री जरनैलसिंह टुरना, अधिवक्ता, अपीलांटस
2. श्री हंसराज तनेजा, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1 व 2
3. श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 03

आदेश **दिनांक : 31–12–15**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, सादुलशहर के आदेश दिनांक 30–11–12 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि चक 14 एफ बड़ा पटवार हल्का मटीलीराठान मु0 नं0 5 के किला नं0 1 ता 25 की नहरी भूमि अपीलांटस व रेस्पोडैन्ड सं0 1 व 2 के नाम से दर्ज राजस्व रेकार्ड में थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से दिनांक 23–11–12 को अपीलाधीन इंतकाल मृतक दयालसिंह जिसकी मृत्यू दिनांक 15–2–94 को हो गई थी। दयालसिंह व भगवानकौर की मृत्यू पूर्व में हो चुकी थी तो मृतक व्यक्तियों के नाम इंतकाल दर्ज नहीं हो सकता क्योंकि विवादित भूमि दयालसिंह व भगवानकौर ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि अपीलांटस व रेस्पो0 सं0 1 व 2 के नाम से

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

बराबर लगवा दी थी। मौके पर अपीलांटस अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल पारित करने से मौके की न तो रिपोर्ट मंगवाई और न ही जॉच की गई। अधीनस्थ न्यायालय को जमाबंदी में नाम विलोपित करने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने सनद सं0 2590 दिनांक 19–2–87 का हवाला देकर अपीलाधीन इंतकाल दर्ज किया है। सनद दिनांक 19–2–87 के आधार पर अब कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। 12 वर्ष के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

अपीलाधीन आदेश से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय सुनी गई।

अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि जमाबंदी में अपीलांटस व रेस्पो0 सं0 1 व 2 का बराबर –2 हिस्सा है। सनद जो 1987 में जारी हुई है, इसका तीस वर्ष बाद नामान्तरण किया गया है, जो सही है या नहीं -- इसकी तस्दीक डी आर ओ से नहीं ली गई है। मरे हुए व्यक्तियों के पक्ष में नामान्तरण कर दिया है जो प्रथमदृष्टया गलत है। मृतक व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अपने पक्ष के समर्थन में ए आई आर 2005(एस0सी0)पेज 3799 का न्यायिक दृष्टान्त पेश कर निवेदन किया है कि खातेदार रेकार्ड में दर्ज है तो सुना जाना आवश्यक है। आदेश की जानकारी होते ही अपील पेश कर दी गई थी। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि चार व्यक्तियों को भूमि आवंटन हुई थी। सनद आज भी स्टैण्ड कर रही है। वारिसों के नाम आगे नामान्तकरण दर्ज होना चाहिये। यदि सनद गलत है तो उसे निरस्त कराने के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोई की जानी चाहिये। नामान्तरण सं0 351 के जरिये लीगल वारिस जमाबंदी में आ चुके हैं। जमाबंदी के अनुसार सभी वारिस अपने हिस्से पर काबिज हैं। माता पिता ने अपने जीवनकाल में कोई विभाजन नहीं किया है। उस वक्त गैरखातेदारी भूमि थी। मृतक के विरूद्व आदेश पारित नहीं किया गया है। अपने पक्ष के समर्थन में ए आई आर 1981 (राज0) पेज 89 का न्यायिक दृष्टान्त पेश कर निवेदन किया है कि मृतक व्यक्ति के हक में कोई भी आदेश पारित किया जा सकता है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल सं0 345 जो खातेदारी सनद क्रमांक 2590 दिनांक 19–2–87 को जारी हुई है, के आधार पर दिनांक 23–11–12 को स्वीकृत किया गया है, को हस्तगत अपील के माध्यम से निरस्त कराने हेतु चुनौति दी गई है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल सनद सं0 2590 दिनांक 19–2–87 के आधार पर खोला जाकर दिनांक 23–11–12 को स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गए मूल इंतकाल

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A7
3

रजि0 में सनद की प्रमाणित प्रति संलग्न है, जिसके अनुसार सनद सं0 2590 दिनांक 19–2–87 को जारी हुई है। सनद में दयालसिंह, भगवानकौर, करतारसिंह एवं गोपालसिंह कुल चार सदस्यों के नाम अंकित हैं। सनद के आधार पर ही अपीलाधीन इंतकाल दयालसिंह, भगवानकौर, करतारसिंह एवं गोपालसिंह के नाम दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। यदि अपीलांट को सनद पर कोई आपति है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सनद के आधार पर इंतकाल स्वीकृत करने में कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटस अस्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन इंतकाल की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 31–12–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/1/2016

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

नोट: निर्णय पर हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 1-1-16 की बजाय 31.12.15 पढ़ी जावे। उक्तानुसार संशोधन किया जाता है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)